By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, LoknayakBhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Case No. False Certificate/1/UP/2017/RU-I
Case No. DPG/36/2019/STGUP/SEFCC/RU-I

Dated: 13.12.2019

To,

1. The Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Lucknow, (Uttar Pradesh)

2. Diector General of Police,
Govt. of Uttar Pradesh
Lucknow

Sub: Joined Govt. Services by producing fake ST Certificate by the persons of communities belonging to Nayak and Ojha (Brahmin) of the Districts of Gorakhpur, Maharajganj, Deoria, Basti, Azamgarh, Mau and Ballia of Uttar Pradesh- a representation from National President, Dalit- Adivasi Jeevan Jyoti Foundation, Noida (Uttar Pradesh).

Sir,

I am directed to forward herewith copy of the minutes of Sitting held in the Headquarters of National Commission for Scheduled Tribes on 21/11/2019 at 12:30 P.M. under the Chairmanship of Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the sitting may please be sent to the Commission at the earliest for appraisal of Hon'ble Chairperson..

Encl: As above.

Yours faithfully,

(S.P. Meena/एस.पी.मीना)
Assistant Director/सहायकनिदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy to:

1. Shri Arvind Kumar Gond,
   National President,
   Dalit Adivasi Jeevan Jyoti Foundation,
   B-13/9, Janta Flats, Sector-71,
   Noida- 201307
   (Uttar Pradesh)
   (Mob: 9999400508)

2. Shri Dashrath Prasad Gond,
   Rashtriya Mahamantri,
   Akhil Bharatvarhiya Gond Mahasabha,
   1/845, Vishal Khand, Gomti Nagar,
   Lucknow.
   (Uttar Pradesh)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website and also send the e-mail to concerned)

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(No. False Certificate/1/UP/2017/RU-I)
(No. DPG/36/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों के ब्राह्मण नायक और ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा गोंड जनजाति की उपजाति बनकर फर्जी तरीके से प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के संबंध मे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश के अभ्यावेदन पर दिनांक 21/11/2019 को आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नन्द कुमार साय की अध्यक्षता में अयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक मे भाग लेने वालों की सूची --- अनुबंध एक पर।

2. श्री अरविन्द कुमार गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फाउंडेशन, नोएडा ने अभ्यावेदन दिनांक 23.3.2017 आयोग को प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्यके गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ, मऊ और बलिया जिलों के ब्राहमण जाति के नायक व ओझा समुदाय के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरिया कर रहे है। इस तकर फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनवाकर हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली है, जिससे वास्तविक अनुसूचित जनजाति के लोगो का सवैंधानिक अधिकार छिन रहा है।

3. इस प्रकरण में दिनांक 21.8.2017 को सिटिंग की गई। तदोपरांत दिनांक 12.4.2018 की सिटिंग में उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रमुख सचिव, समाज कल्याण तथा ए.डी.जी पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार एवं आवेदक गण के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इसमे आयोग ने पाया हैं कि:–

> "उतर प्रदेश में ब्राहमण नायक एवं ब्राहमण औझा जाति के व्यक्तियों द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किए है। उतर प्रदेश सरकार द्वारा उन पर कार्यवाई की जा रही है। किन्तु उन पर ओर अभी कार्यवाई अनिवार्य है। अतः आयोग की अनुशंसा है कि ब्राहमण नायक एवं ब्राहमण औझा जाति के लोगों द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर उनके खिलाफ कथित सातों जिलों/जनपदों में उनके विरूद्व जाति प्रमाणपत्र निरस्त करने की कार्यवाई, उन पर एफ आई आर दर्ज करवाने की कार्यवाई तथा संबंधित लोगों द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने पर, स्थगन आदेश को वेकेट करने की कार्यवाई उतर प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी तौर पर सुनिश्चित की जाए।
>
> आयोग यह भी सलाह देता है कि यदि उतर प्रदेश सरकार के ध्यान में किसी भी तरीके से कोई मामला फर्जी अनूसूचित जनजाति प्रमाणपत्र धारक का आता है तो तुरंत उस पर कार्यवाई की जाए"।

4. आयोग ने पत्र दिनांक 02.5.2018 द्वारा बैठक के कार्यवृत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को अविलंब कार्यवाई रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। इसके पश्चात दिनांक 22.4.2019 को अनुस्मारक भेजा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आदिवासी जीवन ज्योति फाउंडेशन, नोएडा,उत्तर प्रदेश ने अभ्यावेदन दिनांक 07.6.2019 के द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच के (10 रिट को समेकित करते हुए) दिनांक 28.5. 2019 के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। आयोग ने पत्र दिनांक 20.6.2019 द्वारा इस अभ्यावेदन को आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रसारित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 20.8.2019 समय 04:00 बजे की सिंटिग निश्चित की, परंतु अपरिहार्य कारणों के कारण सिंटिग को स्थगित करना पडा। दिनांक 21.11.2019 को 12:30 बजे सिटिंग की तिथि निश्चित की गई, जिसकी सूचना पत्र दिनांक 08.11.2019 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई।

5. विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग ने पत्रांक 4790/26–3–2019 दिनांक 20.11.2019 द्वारा सूचित किया कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग सिटिंग की तिथि के समय अवकाश पर है। पत्र में उल्लेख किया कि संबंधित जनपदों से सूचना एकत्र किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। चार जनपदों (गोरखपुर, आजमगढ, देवरिया एवं महाराजगंज) की सूचना प्राप्त हो चुंकी है। पत्र में उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग, मेरठ मंडल को सिटिंग में उपस्थित होने हेतु नामित किया गया।

6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंत्राक डी.जी–माप्र–अजजा–2/2018 (गोरखपुर जोन) दिनांक 15.11.2019 द्वारा सूचित किया कि अपरिहार्यताओं के कारण दिनांक 21. 11.2019 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, जिसका खेद है। पुलिस महानिदेशक, विशेष जांच प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश को सिटिंग में उपस्थि होंगे।

7. सिटिंग में संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, मेरठ मंडल, मेरठ तथा पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच प्रकोष्ठ, मुख्यालय (उत्तर प्रदेश) एवं आवेदकगण उपस्थित हुए।

8. माननीय अध्यक्ष महोदय ने आवेदकगणों से समस्याएं एवं कठिनाईयां बताने को कहा। आवेदकगणों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नायक एवं ओझा जाति के ब्राहमणों जिन्होने असत्य अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, के विरूद्व न्याय संगत कार्रवाई नहीं की जा रही है। आयोग को आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर जो जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन/समीक्षा हेतु मंडल स्तरीय समिति, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के अध्यक्ष भी है, के आदेश संख्या c-262/स.क.जा.प्र.प.म.फो–बैठक–2019 दिनांक 21.9.2019 की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि यह आदेश आयुक्त गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। इसमें कई त्रुटियां है, क्योकि इससे नायक जाति को फर्जी रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के कारण लाभ मिल रहा है। अतः इसे निरस्त किया जाना चाहिएं। राज्य प्रशासन द्वारा नायक एवं ओझा समुदाय के लोग जिन्होने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र ले रखा है, उनके विरूद्व दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रहीं है। इसके अलावा राज्य प्रशासन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ बेंच में लंबित प्रकरणों में सरकार का उचित तरीके से पक्ष नहीं रख रही है, जिससे अपरोक्ष रूप से नायक जाति के लोगो को लाभ पहुंचा रहे है। 18 रिटों की सूची दी, जो अनुलग्नक–2 पर है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9. माननीय अध्यक्ष महोदय ने समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि एवं पुलिस महानिदेशक के प्रतिनिधि से उनके विभागों द्वारा की गई/की जाने वाली कार्रवाई बताने को कहा। संयुक्त निदेशक समाज कल्याण, मेरठ मंडल, मेरठ ने बताया कि प्रशासन द्वारा रात्रि को सूचना प्राप्त हुई है, जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत है। प्रशासन द्वारा बताया गया है कि 4 जनपदों (गोरखपुर, आजमगढ, देवरिया एवं महाराजगंज) की सूचना प्रेषित है तथा शेष जनपदों से सूचना एकत्र की जा रही है। सिटिंग में उपलब्ध कराए गए जनपदों के पत्रों की छाया प्रतियों में बताया गया है कि:–

गोरखपुर जिला अधिकारी ने बताया कि अवैध तरीके से नायक व ओझा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर दुरूपयोग करने वाले नायक तथा ओझा जाति के व्यक्तियों पर एफ.आई.आर दर्ज होने की सूचना जनपद स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध मे प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला अधिकारी आजमगढ ने बताया कि कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी की जा रही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला देवरिया ने बताया कि जनपद में 302 (देवरिया सदर–96 व रूद्रपुर–206) ब्राहमण नायक व ब्राहमण ओझा जाति के व्यक्तियों को गोडं अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये गये है। उक्त प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारी, देवरिया कार्यालय पत्रांक 2017–21 दिनांक 08.11.2012 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त आवेदन पत्रों को निरस्त करने के उपरांत जिलाधिकारी, देवरिया कार्यालय पत्र संख्या 35–35 दिनांक 05.4.2018 द्वारा तहसीलदार, रूद्रपुर व देवरिया सदर को एफ.आई.आर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये, तत्क्रम में तहसीलदार, रूद्रपुर व देवरिया सदर द्वारा एफ.आई.आर दर्ज करायी जा चुकी है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला महाराजगंज ने बताया कि प्रकरण में सूचना शून्य है, क्योकि प्रकरण मंडल स्तरीय समिति के समक्ष विचाराधीन है।

10. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच के आदेश दिनांक 28.5.2019 के अनुपालन के संदर्भ में, यह बताया गया कि विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ने पत्रांक 2745/26–3–2019 दिनांक 26.6.2019 द्वारा सभी मंडलायुक्त (गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ, बस्ती व मिर्जापुर) को अनुपालना हेतु लिखा है, जिसमें प्रत्यावेदनों का निस्तारण ससमय सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

11. आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के अध्यक्ष के आदेश संख्या c-262/स.क.जा.प्र.प.म. फो–बैठक–2019 दिनांक 21.9.2019 को निरस्त करने के संदर्भ में, यह बताया गया कि प्रकरण में विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग ने पंत्राक 121वी.आई.पी/26–3–2019–10(8)/2019 दिनांक 18.11.2019 द्वारा निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को सुसंगत जांच आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

12. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने नायक और ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरिया प्राप्त करने संबंध में जिलेवार प्राप्त सूचना उपलब्ध कराई। सूचना में बताया गया कि बताया गया कि जनपद आजमगढ में वांछितसूचना शून्य है। जनपद–बलिया में एक प्रकरण है जो मंडलायुक्त, आजमगढ के पास विचाराधीन है। जनपद मऊ, गोरखपुर, महाराजगंज में वांछित सूचना शून्य है। जिला देवरिया में कोतवाली देवरिया में 13 फर्जी प्रमाण पत्र के संबंध मे कार्रवाई प्रचलित है, जबकि थाना रूद्रपुर में 36 फर्जी प्रमाण पत्र के विरूद्ध साक्ष्य न पाने के कारण विवेचना समाप्त की जा चुकी है। जनपद बस्ती में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

13. माननीय अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान यह पाया कि उत्तर प्रदेश, समाज कल्याण विभाग फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के प्रकरणों को गभीरता से नहीं ले रहीं है, जैसा कि आयोग द्वारा समय समय पर आयोजित बैठको एवं समीक्षा बैठक में अनुशंसाएं की जाती रही हे। है। फर्जी प्रमाण पत्र धारक व्यक्तियों के विरूद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे लोगो में फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भय व्याप्त हो। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता से लेना होना होगा, तभी वास्तविक लोगो को न्याय मिलेगा।

14. समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि एवं आवेदकगणों के साथ विचार विमर्श के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्न अनुशंसाए/सुझाव दिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसाओं पर अविलम्ब कार्रवाई की जाए।

1. आवेदकगणों द्वारा दी गई 18 रिट याचिकाओं (अनुलग्नक–2) पर, राज्य सरकार द्वारा उचित तरीके से संबंधित उच्च न्यायालय की बेंच में अविलम्ब अपना पक्ष रखना होगा।
2. अवैध तरीके से प्राप्त अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के प्रकरणों में, माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों को, वैकेट करने की कार्रवाई प्रभावी तौर पर सुनिश्चित की जाए।
3. जिला स्तरीय/मडंल स्तरीय/प्रदेश स्तरीय अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन/समीक्षा हेतु समितियों को ससमय कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाए।
4. पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से प्राप्त अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र धारकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।
5. अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए।
6. अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तहसील स्तर पर समय समय पर "विशेष कार्यक्रम" आयोजित किए जाए।
7. आयुक्त, गोरखपुर मडंल, गोरखपुर के आदेश दिनांक 21.9.2019 पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए।

12.12.19

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure-I
अनुबंध-I

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

(F.No. False Certificate/1/UP/2017/RU-I)
(F.No. DGP/36/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

List of participants of the sitting held on 21/11/2019 at 12:30 PM under the Chairmanship of Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairman, NCST in the case of Shri Arvind Kumar Gond, National President, Dalit- Adivasi JeevanJyoti Foundation, Noida vide representation has informed the Commission that various persons have joined Govt. Services by producing fake ST Certificate by the persons of communities belonging to Nayak and Ojha (Brahmin) of the Districts of Gorakhpur, Maharajganj, Deoria, Basti, Azamgarh, Mau and Ballia of Uttar Pradesh.

I **National Commission for Scheduled Tribes**

1 Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson — In Chair

2 Shri H.K. Damor, Hon'ble Member

3 Shri H.C. Vasava, Hon'ble Member

4 Shri. K.Touthang , Joint Secretary

5 Dr. Lalit Latta, Director

6 Shri R.S. Misra, Senior Investigator

II **Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh.**

Shri Mohd. Tariq, Joint Director, Social Welfare, Meerut Division, Meerut

III **Director General of Police, Govt. of Uttar Pradesh.**

Shri Sarvesh Kumar Rana, S.P, Spl Enquiry, HQ

IV **Petitioner**

1 Shri Arvind Kumar Gond, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फाउंडेशन, नोएडा

2 Shri Dasrath Prasad Gond, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतवर्षीय गोंड, महासभा, लखनऊ

(A41)
अनुबंध-2

माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक दिनांक 21–11–2019,

उत्तर प्रदेश में नायक जाति द्वारा फर्जी रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद से स्थगन प्राप्त कर राजकीय सेवा में कार्यरत हैं । **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद में प्रकरण लम्बित है ।** फर्जी रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अनुसूचित जनजाति के हक को छीना जा रहा है और राजकीय धन का दुरूपयोग हो रहा है । कुछ उदाहरण निम्न हैं–

1 WRIT - A No. - 61611 of 2015 Prashant Kumar Nayak **Vs** State Of U.P. And Another

2 WRIT - A No. - 61632 of 2015 Navneet Kumar Nayak **Vs** State Of U.P. & 2 Others

3 WRIT - A No. - 10117 of 2015 Prashant Kumar Nayak **Vs** State Of U.P. And 3 Ors.

4 WRIT - A No. - 42119 of 2015 Navneet Kumar Nayak **Vs** State Of U.P. And 2 Others

5 WRIT - A No. - 12537 of 2015 Anand Kumar Nayak **Vs** State Of U.P. And 3 Ors.

6 Writ - A No. - 63383 of 2015 Atul Kumar Nayak Vs. State of U.P. and 2 others.

7 Writ - A No. - 11979 of 2015 Km. Nilam Nayak Vs.State of U.P. and 6 others.

8 Writ - A No. - 3032 of 2015 Dhananjay Nayak Vs. State of U.P. and 2 others.

9 Writ - A No. - 4232 of 2015 Anand Kumar Nayak Vs.State of U.P. and 3 others.

10 Writ - A No. - 58844 of 2015 Sandeep Kumar Nayak & 2 others Vs. State of U.P. & 2 others.

11 Writ - A No. - 31543 of 2015 Suyanka Nayak Vs. State of U.P. and 3 others.

12 Writ - A No. - 27078 of 2016 Ajay Kumar Nayak Vs.State of U.P. and 3 others.

13 Writ - A No. - 6565 of 2016 (Anup Kumar Nayak Vs. State of U.P. and 2 others).

14 Writ - A No. - 17516 of 2016 Atul Kumar Nayak and another Vs. State of U.P. and 3 others.

15 Service Single No. - 03 of 2016 (Anoop Nayak and 4 others Vs. State of U.P. and another).

16 WRIT - A No. - 20399 of 2017 Dr. Ashish Kumar Nayak **Vs** State Of U.P. And 4 Ors.

17 WRIT - A No. - 19000 of 2018 Nitesh Kumar Nayak **Vs** State Of U.P. And 4 Others

Arvind

ARVIND KUMAR GOND

DALIT ADIVASI JEEVAN JYOTI FOUNDATION

Lucknow Bench, Lucknow.

W.P. No. - 11829 of 2017 (M/B)

Smt. Sunita Nayak

Vs

State of U.P. and others

श्री दशरथ प्रसाद गोंड